क्रम-संख्या-320

रजिस्ट्रेशन नम्बर-जी०-11/लाइ०-
न्यूज पेपर/91/05-06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 19 नवम्बर, 2007

कार्तिक 28, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2360/79-वि-1-07-1(क)48-2007
लखनऊ, 19 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 2007]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह 25 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2002 की धारा 11 का संशोधन

2—छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 11 में खण्ड (अठारह) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(अठारह) किसी राजकीय या निजी चिकित्सा या दन्त महाविद्यालय या किसी ऐसी संस्था, जो परा‌चिकित्सकीय उपाधि पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान कर रही हो, को ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर सम्बद्धता या मान्यता के विशेषाधिकार देना, जैसे विहित किये जायं और किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कटौती करना और ऐसे महाविद्यालय या संस्था का मार्गदर्शन और नियंत्रण करना।"

धारा 16 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 16 में उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(7) (क) केवल ऐसे व्यक्ति कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो;

(ख) कुलपति अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 03 वर्ष की अवधि तक अथवा 68 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, पद धारण करेगा;

(ग) कुलपति, जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, को इस रूप में द्वितीय कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है;

परन्तु कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्यागपत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।"

निरसन और अपवाद

4—(1) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एवं छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 27 सन् 2007 और उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 32 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन और अपवाद के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 27 सन् 2007) और छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 32 सन् 2007) का प्रख्यापन राज्यपाल द्वारा 25 अगस्त, 2007 को छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, अधिनियम, 2002 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2002) को संशोधित करने के लिये किया गया था जिससे कि निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सके।

(क) किसी राजकीय या निजी चिकित्सा या दन्त महाविद्यालय या किसी ऐसी संस्था, जो परा‌चिकित्सीय उपाधि पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान कर रही हो, को सम्बद्धता या मान्यता के विशेषाधिकार देने और किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेने, या उनमें कटौती करने और ऐसे महाविद्यालय या संस्था का मार्गदर्शन और उस पर नियंत्रण करने के लिये विश्वविद्यालय को शक्ति प्रदान करना;

(ख) कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु उसकी अधिकतम आयु और उसकी अधिवर्षिता विहित करना।

मंत्रिमण्डल के विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये मंत्रिमण्डल द्वारा उक्त विनिश्चय किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 को निरसित कर दिया गया था जिसके कारण राज्य में दन्त महाविद्यालयों की सम्बद्धता के लिये व्यवस्था करना आवश्यक हो गया था और यह आवश्यक हो गया था कि कुलपति की नियुक्ति हेतु उसकी अधिकतम आयु और अधिवर्षिता आयु विहित करने के लिये व्यवस्था की जाय क्योंकि उपर्युक्त अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 2360/LXXIX-V-1-1(Ka)48-2007
Dated Lucknow, November 19, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Chhatrapati Shahu ji Maharaj Chikitsa Vishwavidyalaya Uttar Pradesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 31 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 16, 2007.

THE CHHATRAPATI SHAHUJI MAHARAJ MEDICAL UNIVERSITY,
UTTAR PRADESH (AMENDMENT) ACT, 2007
[U.P. ACT NO. 31 OF 2007]
(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Uttar Pradesh Act, 2002.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 25, 2007.

Amendment of section 11 of U.P. Act no. 8 of 2002

2. In section 11 of the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Uttar Pradesh Act, 2002, hereinafter referred to as the principal Act, for clause (XVIII) the following clause shall be *substituted*, namely:-

"*(XVIII)* to admit any Government or private Medical or Dental College or any such institution as is imparting education in Para Medical degree courses to the privileges of affiliation or recognition in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed, to withdraw or curtail any such privileges and to guide and control the work of such college or institution."

Amendment of section 16

3. In section 16 of the principal Act for sub-section (7) the following sub-section shall be *substituted*, namely :–

"(7) (a) Only such person shall be eligible for the appointment to the office of Vice-Chancellor who has not attained the age of 65 years;

(b) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date he enters upon his office or till he attains the age of sixty-eight years, whichever is earlier.

(c) The Vice-Chancellor, who has not attained the age of 65 years, may be appointed as such for second term.

Provided that the Vice-Chancellor may by writing under his hand addressed to the Chancellor resign his office and shall cease to hold his office on the acceptence by the Chancellor of such resignation."

Repeal and Saving

4-(1) The Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Ordinance, 2007 and the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University, Uttar Pradesh (Second Amendment) Ordinance are hereby repealed. U.P. Ordinance no. 27 of 2007 and U.P. Ordinance no. 32 of 2007

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinances referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the coresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 27 of 2007) and the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Uttar Pradesh (Second Amendment) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 32 of 2007) were promulgated by the Governor on August 25, 2007 to amend the Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University, Uttar Pradesh, Act, 2002 (U.P. Act no. 8 of 2002) to provide for,–

(a) empowering the University to admit any Government or private medical or Dental College or any such institution as is imparting education in Para Medical degree courses to the privileges of affiliation or recognition and to withdraw or curtail any such privilege and to guide and control the work of such college to institution

(b) prescribing the maximum age for appointment to the office of the Vice-Chancellor and superannuation age thereof,

to implement the decisions of the Cabinet the said decisions were made by the Cabinet because the Uttar Pradesh King George's University of Dental Science Act, 2004, was *repealed* due to which it was necessary to provide for the affiliation of dental colleges in the State and it was necessary to provide for prescribing the maximum age for appointment and superanuation age of Vice-Chancellor as there was no provision in the aforesaid Act.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S.M.A ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 701 राजपत्र–(हि०)–(1713)–2007–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 358 सा० विधायी–(1714)–2007–850 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।